अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 308 / 2012

मो0 तैयब बुल हक — अपीलार्थी

बनाम

मो0 कुतुब उद्दीन — रेस्पोण्डेन्ट / विपक्षी

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 07.07.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 352 / 2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में मौजाः सहरसा, अंचलः कहरा, थाना नं0:189 तौजी नं0: 3736 में खाता पुराना :1519 खेसरा पुरानाः 3376, 3377 मिलजुमला रकबा एक बीघा से बना नया खाता 298 नया खेसराः 3153 रकबा 2.20 अर, 3154 रकबा 3.60 अर, 3155 रकबा 8.40 अर एवं 3156 रकबा 19.75 अर, अर्थात 33.95 अर (18 कट्ठा 17 धूर) चौहद्दी उत्तरः शेख अनसार वगैरह दक्षिणः महजो वगैरह, पूरबः नेहायत अली, पश्चिमः महजो वगैरह है, प्रश्नगत विवादी भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत जमीन अपीलार्थी के स्व0 दादा शेख अब्दूल पिता शेख हैदर के नाम दिनांक 23.04.1941 ई0 को खरीबदगी से प्राप्त है वो अपीलार्थी के दादा वर्ष 1962 में अपने पुत्र वाजूल हक को निबंधित (will) कियान्वित कर उन्हें उक्त भूमि पर दखलकार बना दिये वो वर्ष 1980 में अपीलार्थी के पिता वाजूल हक निबंधित (will) अपीलार्थी के पक्ष में कियान्वित कर उक्त भूमि पर अपीलार्थी को दखलकार बना दिये वो अपीलार्थी उक्त भूमि पर लगातार दखलकार चले आ रहे है वो बिहार सरकार के सिरिस्ता में जमाबंदी संख्या –1 आज तक अपीलार्थी के पिता वाजूल हक के नाम से कायम है वो अपीलार्थी विवादित भूमि का रेंट रिसिप्ट प्राप्त करते आ रहे हैं बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे कथन करते हैं कि हाल सर्वे के दौरान खाता वाजूल हक के नाम भी खुला हैं। आगे यह

भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी /वादी वर्ष 1980 में पिता द्वारा कियान्वित विल (Will) के साथ सभी प्रासंगिक कागजात भी विज्ञ निम्न न्यायालय के समक्ष दाखिल किया था परन्तु निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में गलत अंकित किया है कि वादी के कथित वसियतनामा वर्ष 1980 ई0 जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अपीलार्थी/वादी द्वारा उनके पिता द्वारा कियान्वित विल (Will) के साथ सभी प्रासंगिक कागजात भी विज्ञ निम्न न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी निम्न न्यायालय वाद में हाजिर होकर जाली एवं बनावटी कागजात के साथ लिखित जबाब दाखिल किए वो लिखित जबाब में कथन किए कि अपीलार्थी/वादी के दादा अपनी पुरी जमीन मस्जिद को दान में दिया किन्तु वाद में उक्त दान डीड को रद्द कर दिया वो अपने जीवन काल में ही अपनी तीनों पुत्रियों को वर्ष 1963 में Deed of settlement कर दिया वो सभी पुत्रियॉ उक्त भूमि पर दखलकार हुयी। आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी निम्न न्यायालय के लिखित जबाब में विवादित भूमि को निबंधित विकी दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त होना बतलाए हैं वो बाद खरीदगी के उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार बतलाए हैं यह कथन सरासर गलत हैं बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रेंट रिसिप्ट और नया सर्वे खतियान में दर्ज प्रविष्टि मालिकाना हक संबंधी अभिलेख नहीं होता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष सर्वे अधीक्षक द्वारा पारित आदेश की प्रति दाखिल किया गया था, उक्त वाद में न ही अपीलार्थी और न ही उनके पूर्वज को पक्षकार बनाया गया था।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी द्वारा निम्न न्यायालय में लिखित जबाव दाखिल किया था तथा उसमें सभी मामले को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा बिना अवलोकन किये अवैध एवं अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया।

रेस्पोण्डेन्ट /विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि पूराना खाता संख्या 1519 और पूरा खेसरा संख्या 3376 रकबा 16 कट्ठा 10 धूर एवं 3377 रकबा 3 कट्ठा 5 धूर कुल रकबा 19 कट्ठा 15 धूर भूमि ाामा बेगम के पिता द्वारा वर्श 1941 में निबंधित विकी दस्तावेज सख्या 903 द्वारा अर्जित थी वो रोख अब्दूल पिता रोख हैदर की मृत्यु हो गयी और वे अपनी पीछे अपनी तीन पुत्रियों यथा मसो0 रामा बेगम, मसो0 जून बेगम, मुना बेगम एवं एक पुत्र वाजूल हक को छोड़ गये और विवादित भूमि जो उनके स्वयं की अर्जित सम्पति थी को स्थानान्तरित करने का पूर्ण अधिकार था औरशेख अब्दूल ने अपने जीवन काल में दान पत्र के माध्यम से अपने पुत्रियों सामा बेगम एवं अन्य दान में दे दिया वो तीनों पुत्रियॉ उसे दान में लेना स्वीकार की और ाामा बेगम एवं अन्य बहनें उक्त वविादित भूमि पर दखलकार हुयी।

रेस्पोण्डेन्ट/ प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे कथन करते हैं कि शामा बेगम और उनकी बहन दिनांक 30.07.1981 को सेल डीड संख्या 12301 के द्वारा रेस्पोण्डेन्ट/ प्रतिवादी मो0 कुतुब उद्दीन पिता स्व0 मो0 निजाम उद्दीन को पुराना खाता 1519 पुराना खेसरा 3375 रकबा 6 कट्ठा 15 धूर और पूराना खेसरा संख्या 3377 से रकबा 3 कट्ठा 5 धूर कुल रकबा 10 कट्ठा वो रेस्पोण्डेन्ट/ प्रतिवादी को दूसरा केवाला दिनांक 18.11.1982 ई0 को सेल डीड संख्या 18999 खाता संख्या 1519, पुराना खेसरा संख्या 3376 रकबा 9 कट्ठा 15 धूर कुल रकबा 19 कट्ठा 15 धूर तामिल कर दिया वो बाद खरीदगी रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी उक्त भूमि पर दखलकार हुए वो बिहार सरकार के सिरिस्ते में जमाबन्दी संख्या 250 एवं 29 रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी के नाम कायम हुआ ।

रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे

कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी को उक्त विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं होना बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि दाखिल खारिज वाद संख्या 06/80–81 में दिनांक 11.03.1981 ई0 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी के पिता वाजूल हक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 11/1981 ई0 दायर किये जो न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.1982 को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी के पिता वाजूल हक दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 11/1981 के आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद संख्या 123/82 दायर किये जो वहाँ भी दिनांक 08.02.1984 को खारिज कर दिया गया बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपील वाद संख्या 123/1982 के खारिज आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी के पिता वाजूल हक ने रेभेन्यू रिभिजन वाद संख्या 130/84–85 इस न्यायालय में दाखिल किये जो दिनांक 29.04.1986 को खारिज हो गया बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के पिता वाजूल हक ने सर्वे न्यायालय में दफा 9 में आपत्ति वाद नं0 23/1983 वाजूल हक बनाम शामा बेगम वोगैरह दायर किये वो उक्त आपत्ति वाद खारिज हो गया वो उक्त आदेश के विरूद्ध मो0 वाजूल हक द्वारा अपील वाद संख्या 407/85 शामा बेगम एवं अन्य दिनांक 15.10.1985 को दायर किया गया था जो दिनांक 23.06.1986 को खारिज हो गया वो हाल म्यूनिसपल खतियान दिनांक 03.11.1995 अंतिम रूप से प्रकाशित हुआ तथा प्रश्नगत विवादित भूमि का हाल खाता 298 रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी के नाम दर्ज होना बतलाते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। अपील वाद अस्वीकृत। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा